



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 361 राँची, शुक्रवार,

7 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-64/2015-6943 (HRMS)-- श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-चतरा) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4292/रा0, दिनांक-07.09.2015 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-202(i)/स्था0, दिनांक-26.08.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र- ‘क’ में श्री भट्ट के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 29.07.2014 को राँची जिला के चान्हों प्रखण्ड के सिलगाई गाँव में दो समुदायों के बीच ईद के नमाज स्थल को लेकर हिंसात्मक घटना घटी जिसमें ग्राम-सिलगाई के दशरथ उराँव नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी एवं कई ग्रामीण तथा पुलिस कर्मी/पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। श्री भट्ट द्वारा उक्त घटित घटना के मामले में गैर जिम्मेदाराना एवं घोर लापरवाही बरती गयी। श्री भट्ट द्वारा गैरमजरूआ जमीन को ईदगाह के लिए बन्दोबस्ती करने का प्रस्ताव जिला को भेजा गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती की सख्त मनाही है। उक्त घटित मामले को विवादित एवं साम्प्रदायिक बनाने में इस बन्दोबस्ती प्रस्ताव की मुख्य भूमिका रही है। इस घटना क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची की भूमिका नियम संगत नहीं रही। श्री भट्ट का उक्त कर्तव्य नियम विरुद्ध एवं घटित घटना के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-8806, दिनांक-07.10.2015 द्वारा श्री भट्ट से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। श्री भट्ट के पत्रांक-406, दिनांक 16.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री भट्ट से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4814, दिनांक 08.06.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, राँची से मंतव्य अप्राप्त होने पर विभाग स्तर पर श्री भट्ट के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2458 (HRMS), दिनांक-31.05.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-197, दिनांक 03.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री भट्ट के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-चतरा) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHILWANT KUMAR BHATTA (JHK/JAS/163)	श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-चतरा) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
